न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

नम्बर 147/2010 दायर दिनांक–09.08.2010

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वरलाल गुर्जर
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वरलाल गुर्जर
3. गोवर्धनलाल पुत्र ईश्वरलाल गुर्जर निवासी किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत इश्तकरार हक व
दुरूस्ती रिकॉर्ड

–::निर्णय ::–

दिनांक–27.11.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वादीगण ग्राम किरोड़ी के स्थाई निवासी है। ग्राम किरोड़ी की तन में वादीगण की भूमि खसरा नम्बर पुराना 2, 14, 19 जिनके नये खसरा नम्बर 29, 85, 722/113, 15, 16 रकबा क्रमशः 0.19, 0.35, 1.37, 0.03 स्थित है उपरोक्त भूमि वादीगण की खातेदारी की पिढ़ियो से काश्त व कब्जा सूदा है। पुराना खसरा नम्बर 19 दिनांक 19.05.1962 को वादीगण की दादी दड़कली बेवा गंगूराम गुर्जर के नाम से अलौट की गई थी। वादीगण की दादी का देहान्त हो चुका है व वीदीगण के पिता का भी देहान्त हो चुका हैं। वादीगण स्वर्गीय ईश्वरलाल के वारिसान है। अलौटमेंट की फाईल दिनांक 14.11.1983 को प्रतिवादी के यहां आ चुकी है। और उसका नम्बर 3303 है। इस भूमि पर सन् 1962 से आज तक वादीगण शांतिपूर्वक काबिज है। इस भूमि की खसरा परितर्वनसील की नकल दावे के साथ पेश है। व लगान रसीद भी दावे के साथ पेश है। इस भूमि में वादीगण के तीन आम के पेड़ बडे बड़े खडे है व 5–7 पेड़ छोटे है। जामुन के 10 पेड़ खडे है गूंदी के पांच पेड, लैसवा के दो पेड़ व गुलर के दो पेड खडे है। इसी भूमि में वादीगण की रिहायशी भूमि पुख्ता, व खाम ढाणी बनी हुयी है। जिसमें वादीगण मय परिवार के आबाद है।यह है कि उपरोका भूमि सन् 1962 में वादीगण की दादी दडकली बेवा गंगूराम गुर्जर निवासी किरोडी को अलौट की गई थी। और तभी से वादीगण का काश्त व कब्जा आज तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। कानूनन प्रतिवादी को इस भूमि को समयावधि में ही खातेदारी दे देनी चाहिये थी परन्तु आज तक खातेदारी नहीं दी गई है। ऐसी हालत में अब मजबूर होकर वादीगण के लिये यह दावा बाबत. इस्तकरार हक व दूरुस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हो गया है।

इस्तकरार हक बहक वादीगण [illegible] किया जावे :– भूमि खसरा नम्बर पुराना 2, 14, 19 जिनके नये खसरा नम्बर 29, 85, 72[illegible]13, [illegible]6 रकबा क्रमशः 0.19, 0.35, 1. 37, 0.03 वाकै मौजा किरोड़ी का खातेदार [illegible] राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम दर्ज किया जावे व राजस्व रिकार्ड [illegible] जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने [illegible] किया गया तथा तलबी [illegible] जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप से करवाये जाने [illegible]वजूद उपस्थित न्यायालय [illegible] पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी हेतु सोनाराम, प्रभात, गोवर्धनलाल, सुरेन्द्र सिंह के चिफ के सपथ पत्र पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:57 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी व नकल मिलान क्षैत्रफल आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से पेश दस्तावेजों व साक्ष्यों से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम किरोड़ी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर पुराना 2, 14, 19 जिनके नये खसरा नम्बर 29, 85, 722/113, 15, 16 रकबा क्रमशः 0.19, 0.35, 1.37, 0.03 भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से बजड़ का नाम हटाया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:57 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : इश्तकरार हक व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 147 / 2010 (सुरेन्द्र सिंह बनाम लैण्ड होल्डर आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.11.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम किरोड़ी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर पुराना 2, 14, 19 जिनके नये खसरा नम्बर 29, 85, 722 / 113, 15, 16 रकबा क्रमशः 0.19, 0.35, 1.37, 0.03 भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से बजड़ का नाम हटाया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदोलत से आज तारीख 27.11.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:57 IST
Reason: SelfAttested